न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 83/2021

दिनदयाल महतो -बनाम- जादू महतो वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

14.02.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया। तत्पश्चात वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 लागू करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, निमियाँघाट से वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई। थाना प्रभारी निमियाँघाट के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें वादगत भूमि से संबंधित उभय पक्षों में विवाद एवं तनाव को प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस निर्गत कर निम्नलिखित भूमि को प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
रामनगर	0168	1/28	614	8 ए. 40 डी.

थाना प्रभारी निमियाँघाट के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उभय पक्ष एक ही भूमि को लेकर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। उभय पक्ष के द्वारा कोई दस्तावेज जाँच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया उनके द्वारा बताया गया कि न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उक्त भूमि को लेकर उभय पक्षों में बहुत पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है।

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन में समर्पित दस्तावेज :-

1. सादा हुकूमनामा की छाया प्रति।
2. लगान रसीद सं. 876053 एवं अन्य अपठनीय रसीद की छाया प्रति।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये कारणपृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा रामनगर खाता सं. 1/28, प्लॉट सं. 614, रकवा 8.40 ए0 भूमि हुकूमनामा से बुधु महतो को दिनांक 15.08.1930 ई0 को हासिल है, जो प्रथम पक्ष के परदादा लगते है एवं तभी से प्रथम पक्ष के परदादा उक्त भूमि पर कायम काबिज एवं दखलकार चले आ रहे है। प्रथम पक्ष अपने परदादा एवं दादा के मृत्यु उपरान्त शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे है एवं प्रत्येक वर्ष मालगुजारी रसीद भी हासिल करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष के द्वारा इस भूमि को बाजबरन हड़पने की कोशिश कर रहे है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने समर्पित कारणपृच्छा में वादगत भूमि को प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त करने तथा द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित दस्तावेज :-

1. सादा हुकूमनामा की छाया प्रति।
2. फरद रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाईस की छाया प्रति।
3. पंजी 2 की सत्यापित प्रति की छाया प्रति।

4. जमींदारी मालगुजारी रसीद, रसीद सं. 7675.. अपठनीय, 807295, 727271, 162210 की छाया प्रति।
5. थाना प्रभारी निमियाँघाट को संबोधित अंचल अधिकारी, डुमरी के पत्रांक 38 दिनांक 12.01.2021 की छाया प्रति।
6. निमियाँघाट थाना प्राथमिकी सं. 70/2021 दिनांक 12.07.2021 की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष को खाता नं. 1, प्लॉट नं. 614, रकवा 1.20 ए० भूमि वजरिए हुकूमनामा से लीलो महतो वल्द भिखारी महतो को हासिल है जो कि द्वितीय पक्ष जदू महतो के दादा लगते है। इसी खाता प्लॉट में 1 ए० भूमि प्रेम महतो पिता भिखारी महतो के भी हुकूमनामा से हासिल है। बन्दोबस्ती रैयत प्रेम महतो द्वितीय पक्षकार सं. 2. झममलाल महतो के दादा है एवं 80 डी० भूमि द्वितीय पक्षकार सं. 3. सरयु शरण गोस्वामी की दादी पारवती देवी पति दुखल गोसांई को बन्दोबस्ती हुकूमनामा से हासिल है। द्वितीय पक्षकार अपने-अपने बन्दोबस्त भूमि का मालगुजारी जमींदार को अदा करते चले आए एवं जमींदारीप्रथा उन्नमूलन उपरान्त सरकार को मालगुजारी अदा करते चले आ रहे है। अंचल कार्यालय डुमरी के पंजी 2 में लीलो महतो के नाम से रकवा 1.20 ए०, प्रेम महतो के नाम से रकवा 1 ए० तथा पारवती देवी के नाम से 80 डी० भूमि का जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से बन्दोबस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल-कब्जा नहीं रहा और न ही भूमि उनके स्वामित्व की रही। प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी कागजात का सहारा लेकर द्वितीय पक्ष की जमीन पर जबरन झूठा दावा किये है। अंचल कार्यालय में पंजी 2 में बुधु महतो के नाम से खाता सं. 1/28 रकवा 8.40 ए० भूमि की जमाबंदी कायम नही है। प्रथम पक्ष झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जैसा कि निमियाँघाट थाना कांड सं. 70/2021 दिनांक 12.07.2021 को विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें प्रथम पक्ष के सदस्यों का नाम है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल किए गए कारणपृच्छा तथा दस्तावेजों के अवलोकन करने एवं विज्ञ अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि यह वाद उभय पक्षों के बीच गैरमजरूआ भूमि पर अपना-अपना दावा से संबंधित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित दस्तावेज में संलग्न अंचल अधिकारी डुमरी के प्रतिवेदन के अनुसार वादगत भूमि मूल रूप में गैरमजरूआ खास खाते की किस्म जमीन जंगल दर्ज है। अतएव इस वाद में कोई भी वैद्यानिक आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर आदेश की प्रति अपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित

14.02.2022 | 14.02.2022
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। | अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2022.03.14 16:21:38 +05:30
Location: 192.168.251.100